



2026:AHC: 54054

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1505/2025

रनदेव

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: अतुल कुमार कुशवाहा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, रमेश चंद्र पांडेय, सर्वेश कुमार
दुबे

न्यायालय संख्या- 85

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार कुशवाहा, विपक्षी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार दुबे और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
- यह आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के अंतर्गत अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्यायालय संख्या 1, मुजफ्फरनगर द्वारा वाद संख्या 369/11 वर्ष 2021 (श्रीमती संजना और एक अन्य बनाम रनदेव), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस स्टेशन-तितावी, जिला-मुजफ्फरनगर में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 11 मार्च, 2024 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 और 3 द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल वर्तमान प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पुनरीक्षणकर्ता को वर्तमान प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तिथि से मासिक भरण-पोषण भत्ते के मद में विपक्षी संख्या 2 (पत्नी) को 3,000/- रुपये प्रति माह और विपक्षी संख्या 3 (नाबालिग पुत्री) को 1,500/- रुपये प्रति माह भुगतान करने का निर्देश दिया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि स्वीकार्य रूप से पुनरीक्षणकर्ता का विवाह विपक्षी संख्या 2 के साथ 10 फरवरी, 2019 को हिंदू रीति-रिवाजों और कर्मकांडों के अनुसार संपन्न हुआ था और उक्त विवाह से, विपक्षी संख्या 3, नामतः कुमारी नित्या का जन्म हुआ है। हालांकि, उसके ठीक बाद, पुनरीक्षणकर्ता को पता चला कि अपना मायका छोड़ने के बाद, विपक्षी संख्या 2, 15/16 मई, 2018 को एक फरमान नामक व्यक्ति के साथ चली गई थी और उस संबंध में विपक्षी संख्या 2 के पिता ने 16 मई, 2018 को फरमान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसे थाना-तितावी, जिला मुजफ्फरनगर में धारा 366 भा.द.सं. (भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0243 वर्ष 2018 के रूप में दर्ज किया गया था। उसके बाद विपक्षी संख्या 2 ने फरमान के साथ अपना विवाह संपन्न किया और उनके विवाह का 16 मई, 2018 को पंजीकरण कराया गया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि फरमान के साथ अपने विवाह को छिपाकर और उसे तलाक दिए बिना, विपक्षी संख्या 2 ने पुनरीक्षणकर्ता के साथ अपना दूसरा विवाह संपन्न किया, जो अकृत और शून्य है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने प्रथम विवाह प्रमाण पत्र दिनांक 16 मई, 2018 को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो अभी भी विचाराधीन है और उसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और 12 के अंतर्गत भी याचिका प्रस्तुत किया है और वह भी विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में या विपक्षी संख्या 2 के साथ पुनरीक्षणकर्ता के विवाह की तिथि अर्थात् 10 फरवरी, 2019 से पूर्व, फरमान के साथ उसके प्रथम विवाह के संबंध में तलाक की कोई डिक्री उसके पक्ष में पारित नहीं की गई है, इसलिए, पुनरीक्षणकर्ता के साथ उसका दूसरा विवाह, जो उसके पहले पति को तलाक दिए बिना संपन्न हुआ था, स्वतः ही अवैध और आरंभ से ही शून्य है। इन परिस्थितियों में, इस विषय पर विधि के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 पुनरीक्षणकर्ता से कोई भी भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है क्योंकि फरमान के साथ उसका प्रथम विवाह आज भी अस्तित्व में है क्योंकि आज तक फरमान से तलाक की कोई डिक्री उसके पक्ष में पारित नहीं की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता अंततः प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि विपक्षी संख्या 3 का जन्म विपक्षी संख्या 2 के साथ पुनरीक्षणकर्ता के विवाह से हुआ है, इसलिए पुनरीक्षणकर्ता आक्षेपित निर्णय के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उसका भरण-पोषण भत्ता देने के लिए तैयार है।

5. उपरोक्त आधार पर, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि चूंकि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के अंतर्गत विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने में घोर त्रुटि की है, इसलिए, यह जहां तक केवल विपक्षी संख्या 2 से संबंधित है, अपास्त/रद्द किए जाने योग्य है।

6. दूसरी ओर विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण का यह प्रस्तुत करते हुए विरोध किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है जो पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता को उचित ठहराती हो।

7. उपरोक्त आधार पर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है, इसलिए वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

8. मैंने वाद के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. जब इस न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता से यह स्पष्ट प्रश्न पूछा कि क्या पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया यह प्रस्तुतीकरण सही है या नहीं कि विपक्षी संख्या 2 ने फरमान के साथ अपना पहला विवाह संपन्न किया था और उसे तलाक दिए बिना, उसने पुनरीक्षणकर्ता के साथ अपना दूसरा विवाह संपन्न किया है, तो वह इसका खंडन नहीं कर सके। वह प्रस्तुत करते हैं कि विधि के ज्ञान के अभाव के कारण, विपक्षी संख्या 2 ने अपने पहले पति से अपने पक्ष में तलाक की डिक्री प्राप्त करने से पूर्व पुनरीक्षणकर्ता के साथ अपना दूसरा विवाह संपन्न किया है। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि उसके द्वारा अपने प्रथम विवाह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रमाण पत्र को रद्द करने के प्रार्थना पत्र के साथ-साथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और 12 के अंतर्गत याचिका भी दाखिल की गई है और वे विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

10. पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से, यह न्यायालय पाता है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपने पहले पति, नामतः फरमान, जिससे विवाह आज भी अस्तित्व में है, से तलाक की कोई डिक्री प्राप्त किए बिना, विपक्षी संख्या 2 ने पुनरीक्षणकर्ता के साथ अपना दूसरा विवाह संपन्न किया है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि पुनरीक्षणकर्ता के साथ विपक्षी संख्या 2 का विवाह अवैध है, क्योंकि उसका पहला विवाह आज भी अस्तित्व में है और पुनरीक्षणकर्ता के साथ उसके विवाह के समय भी अस्तित्व में था।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने (1988) 1 एस.सी.सी. 530 में प्रतिवेदित 'यमुनाबाई अनंतराव आधव बनाम अनंतराव शिवराम आधव और एक अन्य', (1988) 1 एस.सी.सी. 537 में प्रतिवेदित 'बकुलाबाई और एक अन्य बनाम गंगाराम और एक अन्य' और ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 1809 में प्रतिवेदित 'सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य' के वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि पति के प्रथम विवाह के अस्तित्व में रहने के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत "पत्नी" शब्द की सख्त व्याख्या के आधार पर दूसरी पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार किया जाता है।

12. विधि की पूर्वोक्त स्थापित विधिक स्थिति और धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत "पत्नी" शब्द की सख्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि विपक्षी संख्या 2 पुनरीक्षणकर्ता से कोई भी भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं है क्योंकि वह पुनरीक्षणकर्ता की विधिक रूप से विवाहित पत्नी नहीं है। यह न्यायालय यह भी अभिनिर्धारित करता है कि चूंकि पुनरीक्षणकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि विपक्षी संख्या 3 का जन्म विपक्षी संख्या 2 के साथ पुनरीक्षणकर्ता के कथित विवाह से हुआ है और वह उसकी सगी नाबालिग पुत्री है, इसलिए वह पुनरीक्षणकर्ता से भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने की हकदार है।

13. परिणामस्वरूप, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्यायालय संख्या 1, मुजफ्फरनगर द्वारा मामला संख्या 369/11 वर्ष 2021 (श्रीमती संजना और एक अन्य बनाम रनदेव), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, थाना-तितावी, जिला-मुजफ्फरनगर में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक 11 मार्च, 2024 को विपक्षी संख्या 2 के संबंध में रद्द किया जाता है, जबकि उक्त आक्षेपित निर्णय की विपक्षी संख्या 3 के संबंध में पुष्टि की जाती है। पुनरीक्षणकर्ता आक्षेपित निर्णय के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार विपक्षी संख्या 3 को नियमित रूप से भरण-पोषण भत्ते का भुगतान करेगा।

14. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

15. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

17 मार्च, 2026

सुशील/-

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)